विप्रार्थीगण ... पाबन्द

22.11.23 को पे. हो। विज्ञप्ति

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

22.11.23

वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी वि. / प्रो. सभा चुनाव बाबत बीनर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण हेतु जवाब दिनांक 11-01-24 को पेश हो।

22/11

11.01.2024 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

वकील विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु प्र्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से उनके जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है। शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु प्र्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनकी सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता हैं।

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी. सी. के तहत वास्तें आवेदन पुनःबरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का राजस्व वाद संख्या 16/2017 अनवान पुखराज बनाम भैराराम आरटी. आर एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में दिनांक 29.03.2022 को सुनवाई हेतु नियत थी। प्रार्थीगण मुझ अधिवक्ता द्वारा वादी को बताया गया कि वाद पत्र में जब भी वादी की आवश्यकता होगी तब वादी को बुला लिया जावेगा। जिस पर वादी अधिवक्ता के विश्वास पर रह गया। वादी अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं करने एवं सूचना से वादी को अवगत नहीं कराये जाने पर न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 29.03.2022 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:45 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

किया गया।, इस प्रकार उक्त वाद गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए पुनः बरामद योग्य है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमायें जावें ।

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 29.03.2022 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है, कि प्रार्थीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 29.03.2022 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.03.04 14:37:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी